न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नेहा गिरि, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

प्रकरण संख्या :— 76 / 2018 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2018 / 00122)

व उनवानी प्रकरण :—

1. बनवारीलाल पुत्र विपती राम जाति बघेल निवासी तोर थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर ———————————————प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक धौलपुर——————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल / नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से :— श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :— श्री अनुभव पाराशर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 05.03.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री बनवारीलाल पुत्र श्री विपतीराम जाति बघेला निवासी तोर थाना सदर जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 16 / 2003 जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 01.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्मांक 7004 दिनांक 30.12.15 व 3349 दिनांक 1.8.2016 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की थी। कार्यालय के आदेश क्मांक 7399—1403 दिनांक 29.08.2016 के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी श्री बनवारीलाल पुत्र श्री विपतीराम जाति बघेला निवासी तोर थाना सदर जिला धौलपुर के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 16 / 2003 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 29.08.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.2017 के द्वारा प्रार्थी की अपील

(नेहा गिरि)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट
धौलपुर (राज0)

स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर, गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 10.08.2017 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उभय पक्ष को तलब किया गया। दिनांक 23.10.2017 को प्रार्थी के बावजूद तामील उपस्थित ना आने के कारण प्रकरण अदम हाजिरी व पैरवी मे खारिज किया गया था। आदेश दिनांक 23.10.2017 से क्षुब्ध होकर प्रार्थी ने पुनः माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2018 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनकर मैरिट पर स्पीकिंग आदेश पारित करें। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 13.07.2018 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उभय पक्ष को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव एवं अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में पत्र कमांक 667 दिनांक 16.08.18, 672 दिनांक 28.08.2018 व 64 दिनांक 11.01.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1024 दिनांक 12.02.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना सदर मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर से जांच कराई गई। प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0 नं0 85/2005 धारा 323, 341, 379, 451 ता0 हि0 में कायम किया जाकर बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 64/2015 धारा 323, 341, 448 ता0 हि0 में किता की जाकर पेश न्यायालय किया गया, जिसमें दिनांक 27.9.2007 को राजीनामा से बरी किया गया है। मु0 न0 195/2007 धारा 143, 448, 427 380 ता0 हि0 में कायम किया जाकर चार्जशीट नम्बर 169/2007 धारा 448, 427, 34 ता0 हि0 में किता की जो पेश न्यायालय किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 14.3.2008 को राजीनामा से बरी किया गया है। मु0 न0 115/2008 धारा 147, 323, 341, 452, 504 ता0 हि0 में दर्ज कर बाद अनुसंधान एफ आर नम्बर 27/2008 न्यायालय में पेश किया। उपरोक्त प्रकरणों के अलावा और कोई प्रकरण नहीं है। प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र उक्त दर्ज प्रकरणों के बाद भी दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकरण हो चुका है। उक्त नवीनीकरण के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। तथा दिनांक 24.11.2016 से आवेदक का शस्त्र थाना हाजा पर जमा है। प्रार्थी का चाल चलन सही पाया गया। अगर शस्त्र नवीनीकरण किया जाता है तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की है।

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने हथियार का कभी भी कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध जो प्रकरण बताये गये हैं, उनमें सभी में न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है। प्रार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण पूर्व के दर्ज है। इसके पश्चात् प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र वर्ष 2015 तक लगातार नवीनीकरण हो रहा है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि केवल किमिनल प्रकरणों में लिप्त होना लोक शान्ति व लोक सुरक्षा को इफैक्ट नहीं करते हैं। इसके आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.2.2019 द्वारा भी प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अभिशंसा की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति को भंग की है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 29.282.2016 एकपक्षीय रूप से प्रार्थी को बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये पारित किया है। जो कानूनन गलत है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.02.2019 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 16/2003 को बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना सदर धौलपुर में तीन मुकदमें दर्ज हुये है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर लोक शान्ति भंग कर सकता है। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 29.8.2016 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 29.8.2016 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के अपील रिपोर्ट में आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की है। प्रार्थी के विरूद्ध जो मुकदमा होना अंकित किया है, वह वर्ष 2008 से पूर्व के हैं प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र वर्ष 2008 से 2015 तक नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष 2008 के बाद प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा बताया गया है। है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की प्रकिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है। चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट 12.02.2019 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के बहाल/

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

नवीनीकरण नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल /नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 7399–7403 दिनांक 29.8.2016 निरस्त किये जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 16/2003 को बहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)